अंतिम डिकरी व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम दांतारामगढ

इजलास जगदीश प्रसाद गौड, आर.ए.एस

श्योपाल बनाम नरेन्द्र सिंह आदि

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 60/दावा सन् 2009 **निर्णय** दिनांक 26.07.2016

अंतिम डिकरी व मुकद्में इब्तदाइ

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू जगदीश प्रसाद गौड आर.ए.एस बहाजरी श्री सागर मल धायल मिनजानिब मुद्दई व श्री शिवपाल सिंह मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है व आराजियात ख. नं. 616/1762 रकबा 0.13 हैक्टर व खसरा नम्बर 617/1763 रकबा 0.25 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 0.38 है0 सम्पूर्ण तन ग्राम अलोदा पटवार मण्डल अलोदा का वादी को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाकर उक्त भूमियों से प्रतिवादी संख्या 1 से 16 का नाम हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं । इसी अनुसार रेकार्ड दुरूस्ती की जावे ।

बीज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26, जुलाई, 2016 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ़

दस्तखत

ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4	00	स्टाम्प वकालतनामा	5	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	—	—	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक	2	00
मुतफर्रिक	—	—		7	00
मीजान	5	00	मीजान		

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 60/2009/दावा

1. श्योपाल दत्तक पुत्र गणपत जाति स्वामी निवासी अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

—वादी

ब ना म

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र लाल सिंह
2. शिम्भू सिंह पुत्र लाल सिंह
3. मदन सिंह पुत्र लाल सिंह
4. श्योदत्त सिंह पुत्र जगमाल सिंह
5. राजू सिंह पुत्र जगमाल सिंह
6. मोहन सिंह पुत्र जगमाल सिंह
7. मूलसिंह पुत्र हनुमानसिंह
8. मोहनसिंह पुत्र रणजीत सिंह
9. बिशनसिंह पुत्र रणजीत सिंह
10. सुरजनसिंह पुत्र रणजीत सिंह
11. उम्मेदसिंह पुत्र रणजीत सिंह
12. शिवकरण सिंह पुत्र श्रवणसिंह
13. शिवराजसिंह पुत्र श्रवणसिंह
14. दलीप सिंह पुत्र श्रवण सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

15. बजरंग सिंह पुत्र रूडसिंह
16. सोनी स्त्री स्व. सोन्या जाति जाट निवासी ग्राम अलोदा तहसील दांतारामढ जिला सीकर
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय तहसील दांतारामगढ भूमिधारी

प्रतिवादीगण

दावा उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति—

1. श्री सागर मल धायल वकील वादी की ओर से ।
2. श्री शिवपाल सिंह वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 6, 9 से 16 की ओर से उपस्थित ।
3. प्रतिवादी संख्या 7,8 व 16 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही ।

निर्णय दिनांक 26.07.2016

1 यह कि वादग्रस्त भूमियां नये खसरा नम्बर 616/1762 रकबा 0.13 है0 खसरा नम्बर 617/1763 रकबा 0.25 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.38 हैक्टर वाके ग्राम अलोदा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित है जिसकी गत खसरा संख्या 182/677 रकबा 10 बिस्वा व 183/678 रकबा 1 बीघा थे । उपरोक्त भूमियों पर वादी के पिता शुरू से ही काश्त किया करते थे तथा वादी के पिता की मृत्यु पश्चात् वादी बहैसियत खातेदार उक्त भूमियों पर काबिज होकर काश्त कर रहा है ।

2 यह कि उक्त वादग्रस्त भूमियों को वादी का पिता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से काश्त करता था जिसके संबंध की खसरा गिदावरी इन्द्रजात वादी के पिता के हक में अंकित है वादी के पिता की मृत्यु पर विरासत के आधार पर वाली विवादित भूमि को बहैसियत खातेदारी काश्तकार काश्त करता आ रहा है । उक्त विवादित आराजियात खसरा नम्बर 616/1762 व 617/1763 को वादी अपने कब्जे की अन्य खातेदारी भूमियां खसरा नम्बर 592, 616, 617 को मिला कर एक प्लाट के रूप में अपने पिता के समय से ही काश्त करता आ रहा है । जो एक कॉम्पेक्ट भूखण्ड के रूप में अवस्थित हैं । तथा इन सभी भूमियों पर पहले वादी के पिता तथा वादी काश्त करता है । उक्त विवादित आराजियात को मृतक लालसिंह, जगमालसिंह, हनुमान सिंह, सोन्या व इनके वारिसान व प्रतिवादीगण ने कभी काश्त नहीं किया न इनका कभी कब्जा काश्त रहा ओर न वर्तमान में है । विवारित आराजियात की खातेदारी मौके के सर्वथा विपरीत राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की गलति से मृतक लालसिंह, जगमालसिंह, हनुमानसिंह, सोन्या व प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 15 के नाम अंकित हो गई । अब प्रतिवादीगणों के मन में बेईमानी आ गई व अब वे वादी को विवादित आराजियात से बेदखल करने व वादी के अधिकारों को मानने से इन्कार कर रहे हैं अतः वादी को दावा उद्षाणा करवाना आवश्यक हुआ ।

3 यह है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में यह मुख्य अनुतोष चाहा गया है कि भूमियां ख.न. 616/1762 रकबा 0.13 हैक्टर व खसरा नम्बर 617/1763 रकबा 0.25 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम अलोदा तह0दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि में से प्रतिवादिगण 1 ता 16 का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमियों का वादी को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावे तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन व अमल दरामद किया जावे ।

4 वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 6 व 9 से 16 की ओर से वकील श्री शिवपाल सिंह उपस्थित । तथा प्रतिवादी संख्या 7, 8, व 17 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

5 हमने वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी । दौराने बहस उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण ने वाद में चाहे गये अनुतोष के अनुसार डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस के तथ्यो पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम अलोदा के खसरा नम्बर 616/1762 व खसरा नम्बर 617/1763 की खसरा गिरदावरी संवत 2009 से वादी के पिता के नाम दर्ज है वादी के समर्थन में प्राप्त शपथ पत्रों व रेकार्ड के आधार पर उक्त भूमियों पर वादी का पिता काश्त करता था जिसके कारण उक्त भूमियां वादी के हक अधिकार की भूमियां रही है तथा प्रतिवादीगणों द्वारा प्रस्तुत जबाब में वादी के पक्ष में दावा डिक्री किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई है । तथा आस पडौस के खातेदारों ने भी अपने बयानों में वादी का कब्जा काश्त बताया है मौके पर वादी वादग्रस्त भूमियों पर

उपखण्ड अधिकारी,दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner

वर्तमान में काबिज है अत ग्राम अलोदा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित भूमियो ख.न. 616/1762 रकबा 0.13 है0, व ख.न. 617/1763 रकबा 0.25 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 0.38 हैक्टर से प्रतिवादी संख्या 1 से 16 का नाम हजफ किया जाता है तथा इन भूमियों का वादी को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें। पर्चा डिकी जारी हो।

यह निर्णय आज दिंनाक 26.07.2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner